प्रारुप–30.4

दिनांक ....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...लखेडी...तप्पा...बासीसेम

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रताप सिंह S/o [illegible]	[illegible]
2	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible] सिंह
3	भवानसिंह रामसिंह	भवानसिंह
4	[illegible] सिंह S/o चन्द्र सिंह	[illegible]
5	कुंवरसिंह S/o प्रतापसिंह	कुंवरसिंह
6	[illegible] S/o [illegible] सिंह	[illegible]
7	मनोज सिंह S/o श्री प्रताप सिंह	[illegible]
8	[illegible] पदमसिंह	[illegible]
9	हिरा सिंह केदार सिंह	[illegible]
10	[illegible] सिंह [illegible] सिंह	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
13	[illegible]	[illegible]
14	हैतसिंह	हैतसिंह
15	[illegible]	[illegible]
16	भरत राम	भरत राम
17	भैरु लालसिंह	[illegible]
18	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
19	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
20	पदमा सिंह	[illegible]
21	बसन्ती देवी w/o गोविन्द सिंह	बसन्ती
22	[illegible] देवी	[illegible] देवी
23	[illegible] देवी w/o [illegible]	[illegible]

[illegible] देवी

[illegible] देवी

ह0 / –

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत लखेडी

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :– मैखोली से नलगांव लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग

....

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ––––––––

तहसील–गैरसैंण, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्रा० वासीसेम

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गतगैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग..................हेतु .... हे0 वन भूमि (...–..... हे0 आरक्षित वन भूमि, ..–.. हे0 सिविल सोयम वन भूमि; ....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल..2.152... हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत –लखेडी–––––– द्वारा दिनांक..8/1/15 ..को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग गैरसैण द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम –लखेडी––––के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत लखेड़ी
ह0 [signature]
दि0
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ह0/–

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

61 (A)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.00 किमी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेडी वासीसेम मोटर (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.152 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.152 हे0 वन भूमि) का लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैंण) की दिनांक 3/11/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ________ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी गैरसैंण अध्यक्ष
2– श्री सुरेन्द्र लाल उप प्रभागीय वनाधिकारी गैरसैंण सदस्य
3– श्री सुरेन्द्र लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैंण सदस्य/सचिव
4– श्री महेशी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र लखेडी वासीसेम सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मैखोली से नलगांव लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.152 हे0 वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेडी वासीसेम मो० मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण
जनपद चमोली

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

FORM-1

(for linear projects)

Government of UttarakhandOffice of the District Collector-------

No---

Dated----- 14-12-2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.152** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D P.W.D Gairsain (name of user agency) for **maikholi to Nalgon-Lakheri-Vasisem M/R** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of **Nalgon, Lakheri and Vasisem** village (s) in **Gairsain** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.152 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed .

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.Signature

14/12/17 14/12/17

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

चमोली

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Chamoli** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Asheesh Joshi, I.A.S deputy commissioner,. Chamoli on dated 14-12-2017 at time 5.30 at hrs. .... in which application claiming rights in .... area measuring **2.152** hect for the construction of **maikholi to Nalgon-Lakheri-Vasisem M/R** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Nalgon, Lakheri and Vasisem** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Chamoli

Dated:14-12-2017 Deputy Commissioner-cum-Chairman

14/12/17

District Level Committee

जिला अधिकारी

चमोली

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com